





न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आदेश नं./पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
43/021	88, 89, 91, RTA	नयापुरा	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
समकल्याण उर्फ कल्याण	बनाम	सरकार	

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
27/21	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तालव किया जाकर पत्रावली दिनांक 23.08.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      छबड़ा, जिला बारां (राज०)                 </p>	
2 <sup>10</sup> /21	<p>प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 शिविर.....<u>दीनांक</u>..... पर पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित। कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत पत्रावली न्यायालय में दिनांक.. 13/12/21 को पेश हो <u>hr</u></p>	
21 <sup>2</sup> /22	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक...30/3/22... को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       न्यायालय उपखण्ड अधिकारी                      छबड़ा (बारां),                 </p>	
30 <sup>03</sup> /22	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक...18/5/22... को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       सीडर                      न्यायालय उपखण्ड अधिकारी                      छबड़ा (बारां),                 </p>	
18 <sup>05</sup> /22	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक...25/07/22... को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       सीडर                      न्यायालय उपखण्ड अधिकारी                      छबड़ा (बारां),                 </p>	



दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

21.8.24

पत्रावली पेठा हुई। वकील वादी एवं स्वयं वादी न्यायालय  
में उपस्थित नहीं हैं। न्यायालय में कुछ कुछ बार तीन  
बार भावाज पुकारवाई गई जोई उपस्थित नहीं हुआ।  
प्रकरण अटक हाजरी अटक पैरवी में खारिज किया  
गया है। पत्रावली प्रेशल शुमार होकर वाड ताकिल  
तकरीर के डाखिल इतर हो।

